

08  
22

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष आधीवक्ता व पक्षकारान् अनुपाख्येत रहे। बार-2 आवाजे लगायी गई परन्तु कोई उपाख्येत नहीं हुआ। आन्तिम आवाज साय: 5: 00 बजे लगायी गई। उभयपक्ष अनुपाख्येत रहने के कारण पत्रावली अक्षम टाजरी अक्षम पेशी में स्वार्थि की जाती है। पत्रावली निर्गत शुमार होकर दफ्तर शार्विल हो एवं नियमानुसार नम्बर से कम हो।

उप खण्ड अधिकारी  
पीपलू (टॉक)